कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर, जिला सलूम्बर

र्थी श्री देवा **विपक्षी** श्री कालु व अन्य

किस्म धारा–212 आर.टी.ए. **प्रकरण संख्या** 26 / 2023

कार्यवाही विवरण

–:निर्णयः–

दिनांकः–31/12/24

उपस्थितः–श्री राजकुमार जैन अधिवक्ता–प्रार्थी
विपक्षीगण–एकपक्षीय

प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 जा.दि. व धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण एक ही परिवार के व्यक्ति है। जिनके संयुक्त आराजीयात की भूमि मौजा नाड पटवार हल्का ओरवाडिया तहसील सलूम्बर के खाता संख्या 53 कुल आराजी नम्बर 12 कुल रकबा 3.71 हैक्टेयर, खात संख्या 21 कुल आराजी 02 कुल रकबा 0.26 हैक्टेयर स्थित है। तथा खाता संख्या 24 कुल आराजी नम्बर 05 रकबा 3.71 हैक्टेयर, खाता संख्या 23 कुल आराजी 02 कुल रकबा 0.29 हैक्टेयर भूमि मे पुर्ण हिस्सा प्रार्थी का व विपक्षीगण का कोई हिस्सा नही है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र मे वर्णित संयुक्त आराजीयात की भी मे मौके पर सीमा व सही विभाजन नही होने से प्रार्थी व विपक्षीगण मौके पर सही तोर पर कृषि उपज नही ले पाते है तथा मौके पर हमेशा शान्ति भंग की आशंका रहती है जिस कारण मौके पर सही माप एवं सीमा द्वारा विभाजन करने के लिये वाद के साथ उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना पड रहा है।
प्रार्थी प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात की भूमि मे अपने हिस्से पर काबिज है परन्तु विक्षीगण जबरन मौके पर कब्जा कर प्रार्थी का कब्जा हटवाना चाहते है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष मे अप्रार्थीगण के विरूद्ध मुलवाद के निस्तारण निम्न आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि विपक्षीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार से दखलन्दाजी नही करे तथा न ही किसी प्रकार से कोई निर्माण कार्य करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना के गैर–हाजिर रहने से विपक्षीगण के खिलाफ आदेशिका दिनांक 26–03–2024 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली मे प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं मूलवाद के निस्तारण तक पूर्व जारि अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अधिववता प्रार्थीगण की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित मौजा नाड पटवार हल्का ओरवाडिया तहसील सलूम्बर के खाता संख्या 53 कुल

कलक्टर सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर, जिला सलूम्बर

प्रार्थी श्री देवा | **विपक्षी** श्री कालु व अन्य

प्रकरण संख्या 26 / 202

किस्म धारा–212 आर.टी.ए.

	कार्यवाही विवरण
	आराजी 12 कुल रकबा 3.71 हैक्टेयर, खात संख्या 21 कुल आराजी 02 कुल रकबा 0.26 हैक्टेयर भूमि मे प्रार्थी का नाम दर्ज अंकित होंकर सह खातेदारो के मध्य अविभाजित होना प्रकट आया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को मूलवाद पांती बंटवाडे के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि मौजा नाड पटवार हल्का ओरवाडिया तहसील सलूम्बर के खाता संख्या 53 कुल आराजीयात 12 कुल रकबा 3.71 हैक्टेयर, खात संख्या 21 कुल आराजीयात 02 कुल रकबा 0.26 हैक्टेयर भूमि की मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावाली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। आदेश दिनांक 31......–12–2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। सहायक कलेक्टर सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.) (पर्वतसिंह चूण्डावत RAS) उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर सहायक कलक्टर सल. जिला सलूम्बर